रजिस्ट्री सं० डी- 222

REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 46] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 13, 1971 (कार्तिक 22, 1893)

No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 13, 1971 (KARTIKA 22, 1893)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस

(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 8 फरवरी 1971 तक प्रकाशित किये गये हैं :

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to 8th February 1971 :—

अंक (Issue No.)	संख्या और तिथि (No. and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)
1	2	3	4

शून्य

—NIL—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी । मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं ।

Copies of the *Gazette Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines Delhi. Indents should be submitted so as to reach the manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . .	915
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1613
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1309
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . .	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें . .	—
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . . .	4641
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं .	5847
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश .	965
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1487
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें	413
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं .	175
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं . . .	2357
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें . .	213
पूरक संख्या 45—	
30 अक्तूबर 1971 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बंधी साप्ताहिक रिपोर्ट	1903
9 अक्तूबर 1971 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े .	1915

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	915
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1613
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notification regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1309
PART II—SECTION 1.—Arts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories	4641
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	5847
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	965
PART III—SECTION 1.—Notification issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	1487
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta ..	413
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	175
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2357
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	213
SUPPLEMENT NO. 45	
Weekly Epidemiological Reports for weeks ending 30th October 1971	1903
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 9th October 1971	1915

भाग I—खण्ड 1

(PART I—SECTION 1)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मन्त्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक विभाग)

(नियम)

नई दिल्ली, दिनांक 13 नवम्बर 1971

सं० 6/31/71-सी० एस०-1—निम्नलिखित सेवाओं/पदों में खाली जगहों को भरने के लिए 1972 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम आम जानकारी के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं

(i) भारतीय विदेश सेवा (बी०) के सामान्य काडर (सहायक) का ग्रेड-IV,

(ii) रेलवे बोर्ड मुख्यालय सिविल सेवा—सहायक ग्रेड,

(iii) केन्द्रीय सचिवालय सेवा—सहायक ग्रेड,

(iv) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा—सहायक ग्रेड,

(v) महानिदेशालय, अनुसंधान, रूपरेखा और मानक संगठन, लखनऊ में सहायक के पदों, और

(vi) भारत सरकार के अन्य विभागों और संबद्ध कार्यालयों में, जो भारतीय विदेश सेवा (ख)/रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा। केन्द्रीय सचिवालय सेवा/सशस्त्र सेनाएं मुख्यालय असैनिक सेवा में सम्मिलिखित नहीं हैं, सहायकों के पद।

एक उम्मीदवार उपर्युक्त किसी भी एक या अधिक सेवाओं। पदों के लिए प्रतियोगी हो सकता है। वह जितनी सेवाओं/पदों के लिए चाहता है कि उस पर विचार किया जाए, उनका उल्लेख अपने आवेदन पत्र में कर सकता है।

नोट : उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि जिन सेवाओं/पदों के लिए वे चाहते हैं उन पर विचार किया जाए, उनका अधिमान क्रम से स्पष्ट उल्लेख करें। उम्मीदवार ने अपने आवेदन पत्र में सेवाओं/पदों के लिए जिस अधिमान क्रम का मूल रूप से उल्लेख किया है, उसमें परिवर्तन के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायगा, यदि वह 30 नवम्बर, 1972 को या उससे पहले संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में न पहुंच गया हो।

2. संघ लोक सेवा आयोग यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट II में निर्धारित विधि से लेगा।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किये जाएंगे।

3. उम्मीदवार या तो—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) सिक्किम की प्रजा, या

(ग) नेपाल की प्रजा, या

(घ) भूटान की प्रजा, या

(ङ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(च) कोई भारत-मूलक व्यक्त जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, लंका और पूर्वी अफ्रिका, कैनिया, उगांडा तथा तंजानिया संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व तंगानिका तथा जंजीबार) देशों से आया हो।

परन्तु ऊपर की (ग), (घ), (ङ) और (च) कोटयों के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता (एलिजिबिलिटी) प्रमाण पत्र होना चाहिए।

ऊपर की (च) कोटि के वे गैर-नागरिक, जो संविधान लागू होने की तारीख अर्थात् 27 जनवरी, 1950 से पहले भारत सरकार की सेवा में आए और तब से लगातार नौकरी कर रहे हैं और जिनके सेवाकाल में कोई भंग (ब्रेक) नहीं हुआ है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के सेवाकाल में भंग हुआ हो और उसने 26 जनवरी, 1950 के बाद उक्त सेवा दुबारा शुरू की हो या शुरू कर सके तो उसे भी औरों की तरह पात्रता प्रमाण पत्र देना होगा।

परीक्षा में उस उम्मीदवार को भी बैठने दिया जा सकता है जिसके लिए पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो और उसे सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र दिए जाने की शर्त के साथ अनन्तिम (प्रोविजनल) रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है।

4. जो उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का न हो या पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का निवासी न हो या संघ-राज्य क्षेत्र गोवा, दमन और दीव का निवासी न हो या पूर्वी अफ्रिका, केनिया, युगान्डा और तंजानिया संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व तंगानिका और जंजीबार) का प्रजनक न हो उसे इस परीक्षा में अधिक से अधिक दो बार बैठने दिया जायेगा। यह प्रतिबन्ध सन् 1962 की परीक्षा के समय से लागू है।

नोट 1. यदि उम्मीदवार एक या अधिक सेवाओं/पदों के लिए प्रतियोगिता-परीक्षा में बैठा हो तो इस नियम के प्रयोजन के लिए

यह मान लिया जाएगा कि व प्रतियोगिता परीक्षा में एक बार उक्त परीक्षा के अंतर्गत आने वाली सब सेवाओं/पदों के लिए बैठ चुका है

नोट–2. यदि उम्मीदवार ने वस्तुतः एक या अधिक विषयों की परीक्षा दी हो तो यह माना जाएगा कि वह प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ चुका है।

5. (क) इस परीक्षा में बैठने के लिए यह आवश्यक है कि पहली जनवरी, 1962 को उम्मीदवार की आयु पूरे 20 साल की हो चुका हो किन्तु किसी भी हालत में उसकी आयु पूरी 24 साल की न हो, अर्थात् उसका जन्म 2 जनवरी, 1948 से पहले न हुआ हो और 1 जनवरी, 1962 के बाद न हुआ हो।

परन्तु ऐसा उम्मीदवार भी इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए पात्र होगा, जिसका जन्म 2 जनवरी, 1948 से पहले हुआ था परन्तु 2 जनवरी, 1947 से पहले नहीं हुआ था। यह छूट केवल सन 1972 में ली जाने वाली परीक्षा के लिए ही उपलब्ध होगी।

(ख) ऊपर बतायी गई ऊपरी आयु-सीमा में इस प्रकार छूट दी जा सकती है

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से हो तो अधिक से अधिक पांच वर्ष तक;

(ii) यदि उम्मीदवार पूर्व पाकिस्तान का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(iii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित आदिम जाति का हो तो तथा पूर्व पाकिस्तान का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक;

(iv) यदि उम्मीदवार पांडिचेरी के संघ-राज्य क्षेत्र का निवासी हो और उसने किसी समय फ्रांसीसी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की हो तो अधिक से अधिक पांच वर्ष तक;

(v) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से वास्तविक भारत-मूलक प्रत्यावर्तित व्यक्ति (रिपैट्रियेट) हो और अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(vi) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो और श्रीलंका से वास्तविक भारत-मूलक प्रत्यावर्तित व्यक्ति भी हो और अक्तूबर, 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक;

(vii) यदि उम्मीदवार भारत-मूलक व्यक्ति हो और उसने केनिया, युगान्डा या तंजानिया संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(viii) यदि उम्मीदवार बर्मा से वास्तविक भारत-मूलक प्रत्यावर्तित व्यक्ति (रिपैट्रिएट) हो और उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(ix) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित आदिम जाति का हो और बर्मा से वास्तविक भारत-मूलक प्रत्यावर्तित व्यक्ति भी हो और उसके 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक;

(x) किसी दूसरे देश के साथ लड़ाई में या किसी अशांत क्षेत्र में कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से मुक्त किये गये रक्षा कर्मचारियों को अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(xi) किसी दूसरे देश के साथ लड़ाई में या किसी अशांत क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से मुक्त किये गये ऐसे रक्षा कर्मचारियों के लिए जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति के हों अधिक से अधिक आठ वर्ष तक; और

(xii) यदि कोई उम्मीदवार संघ-राज्य क्षेत्र गोआ, दमन तथा दीव का निवासी हो तो अधिक-से-अधिक तीन वर्ष तक।

ऊपर बतायी गई दशाओं के अलावा, निर्धारित आयु सीमा में किसी भी अवस्था में छूट नहीं दी जा सकती।

6. उम्मीदवार के पास परिशिष्ट I में उल्लिखित किसी भी विश्वविद्यालय की डिग्री होनी चाहिए, या उसमें परिशिष्ट I-क में उल्लिखित योग्यताओं में से कोई योग्यता होनी चाहिए।

नोट 1. यदि कोई उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिस में पास होने पर वह इस परीक्षा में बैठ सकता है लेकिन जिस के परिणाम की सूचना उसे अभी तक नहीं मिली हो, तो ऐसी स्थिति में वह इस परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन पत्र भेज सकता है। जो उम्मीदवार उक्त किसी अर्हक (क्वालीफाइंग) परीक्षा में बैठना चाहता हो, वह भी आवेदन पत्र दे सकता है, बशर्ते कि वह अर्हक परीक्षा इस परीक्षा के शुरू होने से पहले समाप्त हो जाए। ऐसे उम्मीदावार यदि अन्य सभी दृष्टियों से योग्य हों तो उन्हें परीक्षा में बैठने दिया जाएगा, लेकिन परीक्षा में बैठने की ऐसी अनुमति अनन्तिम (प्रोविजनल) मानी जाऐगी, लेकिन परीक्षा और यदि वे उक्त परीक्षा के पास करने का प्रमाण जल्दी-से-जल्दी, और हर हालत में इस परीक्षा के शुरू होने की तारीख से अधिक-से-अधिक दो महीने के अन्दर, प्रस्तुत नहीं करते तो यह अनुमति रद्द कर दी जा सकती है।

नोट 2. विशेष मामलों में, संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी भी उम्मीदवार को, जिस में कोई भी उपर्युक्त अर्हताएं न हों, शैक्षिक दृष्टि से योग्य मान सकता है, बशर्ते कि उसने अन्य संस्थाओं में से किसी के द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका

स्वरूप आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार को उक्त परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है ।

नोट-3 जो उम्मीदवार अन्य सभी दृष्टियों से योग्य हों, पर जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से डिग्रियां ली हों, जिन्हें परिशिष्ट 1 में शामिल नहीं किया गया हो, वे भी आयोग को अपना आवेदन-पत्र भेज सकते हैं, और आयोग चाहे तो उन्हें भी परीक्षा में बैठने की अनुमति दे सकता है ।

7. ऐसा कोई व्यक्ति :—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का विधितः समझौता किया हो जिसकी पत्नी/पति जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने, अपनी पत्नी/पति के जीवित रहते ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का विधितः समझौता किया हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं होगा ।

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार यदि इस ओर से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति पर और विवाह संबंधी अन्य पक्ष पर लागू होने वाले व्यक्तिक नियमों के अन्तर्गत ऐसे विवाह की अनुमति दी जा सकती है, और ऐसा करने के दूसर आधार भी हों तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम बंधन से छूट दे सकती है ।

8. जो उम्मीदवार स्थायी या अस्थायी हैसियत से पहले से ही सरकारी सेवा में हों, उसे परीक्षा में बैठने से पहले विभाग-अध्यक्ष की अनुमति अवश्य ले लेनी चाहिए ।

9. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे वह सम्बन्धित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन न कर सके । यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हो कि वह इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी । केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा की जायेगी जिनकी नियुक्ति पर विचार किए जाने की सम्भावना हो ।

10. परीक्षा में पास हो जाने से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार इस सेवा में पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य है ।

11. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

12. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र (सार्टिफिकेट ऑफ एडमीशन) न हो ।

13. उम्मीदवारों को आयोग के नोटिस के अनुबंध 1 में निर्धारित फीस देनी होगी ।

14. यदि कोई उम्मीदवार किसी और प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा तो उसे परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है ।

15. यदि कोई उम्मीदवार इस बात का दोषी हो या आयोग द्वारा इस बात का दोषी ठहराया गया हो कि उसने किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी परीक्षा दिलवाई है या जाली प्रमाण-पत्र आदि पेश किए हैं या ऐसे प्रमाण-पत्र पेश किए हैं जिन में कोई हेरफेर किया गया है या कोई ऐसी बात लिखी है जो गलत है या झूठी है या कोई प्रमुख तथ्य छिपाया गया है या परीक्षा में बैठने के लिए किसी और अनियमित या अनुचित तरीके से काम लिया है या परीक्षा भवन में अनुचित तरीकों से काम लिया है या काम लेने की कोशिश की है या परीक्षा भवन में अनुचित आचरण किया है तो उसका दांडिक अभियोजन (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) किया जा सकता है ।

(क) साथ ही, उसे हमेशा के लिए या किसी विशेष अवधि के लिए :—

(i) आयोग द्वारा उम्मीदवारों के चुनाव के लिए ली जाने वाली किसी भी परीक्षा या इन्टरव्यू में शामिल होने से आयोग रोक सकता है; और

(ii) केन्द्रीय सरकार, सरकारी नौकरी करने से रोक सकती है ।

(ख) यदि वह पहले से ही सरकारी नौकरी में हो, तो उपयुक्त नियमों के अधीन उसके विरुद्ध अनुशासनिक कारवाई की जा सकाती है ।

16. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए उतनी खाली जगह आरक्षित की जाएंगी जितना कि सरकार तय करे ।

अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के वे ही अर्थ है जो बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के साथ पठित और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति सूचियां (उपान्तरण) आदेश, 1956 द्वारा संशोधित संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1951, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) आदेश, 1951 और संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1959, संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962 संविधान दादरा और नगर हवेली अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, संविधान अनुसूचित आदिम जाति (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान (गोवा, दमन और दयू) अनुसूचित जाति आदेश, 1968, संविधान (गोवा, दमन और दयू) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968 और संविधान (नागालैंड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970 में उल्लिखित किसी जाति के लिए दिए गए हैं ।

17. परीक्षा के बाद आयोग हर एक उम्मीदवार को अंतिम रूप से दिये गए कुल प्राप्तांकों के आधार पर उनके योग्यता-क्रम के अनुसार उनके नामों की सूची बनाएगा, और इस परीक्षा का परिणाम निकलने पर जितनी अनारक्षित खाली जगहों पर भर्ती करने का फैसला किया गया हो उतने ही ऐसे उम्मीदवारों को योग्यता-क्रम के अनुसार नियुक्त करने के लिए सिफारिश की जाएगी जो आयोग द्वारा परीक्षा में योग्य माने गए हों ।

परन्तु यदि समान्य स्तर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवार नहीं भरे जा सकते हों, तो आरक्षित कोटा में कमी पूरी करने के लिए आयोग द्वारा स्तर में छूट देकर, चाहे परीक्षा के योग्यता क्रम में उनका कोई भी स्थान हो, नियुक्ति के लिए सिफारिश किए जा सकेंगे, बशर्ते ये उम्मीदवार इन सेवा/पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त हो ।

18. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाय, इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा और आयोग उनसे परीक्षाफल के बारे में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा ।

19. परीक्षा के परिणाम पर नियुक्ति करते समय उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए बताये गये, अधिमान-क्रम पर उचित ध्यान दिया जायेगा (आवेदन-पत्र का स्तम्भ 25 देखिए) ।

20. नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएंगी । यदि आवश्यक समझा गया तो परिवीक्षा-अवधि बढ़ाई जा सकेगी ।

21. उम्मीदवारों को सहायक-ग्रेड में उनकी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष के भीतर कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से (सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल द्वारा ली जाने वाली) टाइपिंग परीक्षा पास करनी होगी । यदि वे नियत अवधि के भीतर परीक्षा पास न कर सकें तो वे सहायक ग्रेड में आगे वेतन-वृद्धि पाने के तब तक अधिकारी न होंगे जब तक कि वे उक्त परीक्षा पास न कर लें या उन्हें किसी विशेष या सामान्य आदेश के अधीन ऐसी परीक्षा पास करने की आवश्यकता से छूट न दी जाय और परीक्षा पास कर लेने पर या उसके छूट मिल जाने पर उनका वेतन यह मान कर फिर से इस प्रकार नियत किया जाएगा कि उनकी वेतन-वृद्धि रोकी ही नहीं गई थी, परन्तु जितनी अवधि के लिए वेतन-वृद्धि रोकी गई थी उस अवधि का बकाया वेतन उन्हें नहीं दिया जायेगा ।

22. केन्द्रीय सचिवालय सेवा, भारतीय विदेश सेवा (बी०), रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में सहायकों और भारत के चुनाव आयोग तथा पर्यटन विभाग में सहायकों के पदों की सेवा की शर्तें परिशिष्ट-II में संक्षेप में दी गई हैं ।

एम० के० वासुदेवन, अवर सचिव

परिशिष्ट 1

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों की सूची

(देखिये नियम 6)

भारतीय विश्वविद्यालय

कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय जो भारत के केन्द्रीय या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम से नियमित किया गया हो या अन्य शिक्षा संस्थान जो संसद् के अधिनियम द्वारा स्थापित किए गए हों, अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयों के रूप में मान्य घोषित किए गए हों।

बर्मा के विश्वविद्यालय

रंगून विश्वविद्यालय

मांडले विश्वविद्यालय

इंग्लैंड और वेल्स के विश्वविद्यालय

बर्मिघम, ब्रिस्टल, कैम्ब्रिज, डरहम, लीड्स, लिवरपूल, लंदन, मैन्चेस्टर, आक्सफोर्ड, रीडिंग शेफील्ड और वेल्स के विश्वविद्यालय

स्काटलैण्ड के विश्वविद्यालय

एबरडीन, एडिनबरा, ग्लासगो और सेन्ट एन्ड्रूज विश्वविद्यालय ।

आयरलैंड के विश्वविद्यालय

डबलिन विश्वविद्यालय (ट्रिनिटी कालेज), नेशनल यूनिवर्सिटी आफ आयरलैण्ड, दि क्वीन्स यूनिवर्सिटी, बेलफास्ट ।

पाकिस्तान के विश्वविद्यालय

पंजाब विश्वविद्यालय, ढाका विश्वविद्यालय, सिंध विश्वविद्यालय और राजशाही विश्वविद्यालय ।

नेपाल के विश्वविद्यालय

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाण्डू ।

परिशिष्ट 1—क

परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए मान्यता प्राप्त योग्यताएं

(देखिये नियम 6)

1. गुरूकुल विश्वविद्यालय, कांगड़ी, हरिद्वार की "अंलकार पदवी"
2. काशी विद्यापीठ, वाराणसी का "शास्त्री"
3. फ्रांसीसी परीक्षा "प्रापेदतीक" (Propedeutique)
4. उच्च ग्राम शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् के ग्राम सेवाओं में डिप्लोमा ।
5. विश्वभारती विश्वविद्यालय का ग्राम सेवा डिप्लोमा ।
6. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का वाणिज्य में डिप्लोमा ।
7. केन्द्र सरकार के अधीन उच्च सेवाओं और पदों की भर्ती के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का इंजीनियरी अथवा प्रोद्योगिकी में राष्ट्रीय डिप्लोमा ।
8. भारतीय खान विद्यालय, धनबाद, की खनन इंजीनियरी में डिप्लोमा ।
9. श्री अरविंद अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पाण्डिचेरी का "उच्चतर पाठ्यक्रम", यदि पूर्ण क्षात्र (फुल स्टूडेंट) के के रूप में यह पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो ।
10. शास्त्री (अंग्रेजी सहित) या पुराना शास्त्री या सम्पूर्ण शास्त्री परीक्षा जिसमें अंग्रेजी एक विषय सहित अतिरिक्त विषयों में विशेष परीक्षा हो अर्थात् वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी का वरिष्ठ शास्त्री ।

11. मानवशास्त्र एवं प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में रूस के किसी उच्च शिक्षण सस्थान का समकक्ष स्नातक डिप्लोमा बिना प्रथम वैज्ञानिक निबन्ध के परन्तु राज्य परीक्षायें की गई हों।

परिशिष्ट 11

परीक्षा के विषय, परीक्षा के लिए दिया गया समय और प्रत्येक विषय पूर्णांक इस प्रकार होंगे।

विषय	पूर्णांक	दिया गया समय
1—निबन्ध . .	100	2 घण्टे
2—सामान्य अंग्रेजी .	200	3 घण्टे
3—अंकगणित	100	2 घण्टे
4—सामान्य ज्ञान, जिसमें भारत का भगोल भी शामिल है	100	2 घण्टे

2. परीक्षा का पाठ्य विवरण साथ लगी अनुसूची में दिया गया है।

3. उम्मीदवार प्रश्न पत्र 1 या प्रश्न पत्र 4 अथवा दोनों प्रश्न पत्रों का उत्तर हिन्दी (देवनागरी) या अंग्रेजी में दे सकते हैं। प्रश्न पत्र 2 और 3 का उत्तर सभी उम्मीवारों को अंग्रेजी में ही देना पड़ेगा।

नोट 1—यह विकल्प पूरे प्रश्न पत्र के लिए होगा, उसी प्रश्न पत्र के विभिन्न प्रश्नों के लिए नहीं।

नोट 2—उक्त प्रश्नपत्रों के उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में देने का विकल्प चाहने वाले उम्मीदवारों को अपने इस इरादे का उल्लेख आवेदन पत्र के कालम 8 में स्पष्ट रूप से करना चाहिए, नहीं तो यह समझा जाएगा कि वे सभी प्रश्नपत्रों के उत्तर अंग्रेजी में ही देंगे।

एक बार किया गया विकल्प अन्तिम माना जायगा और उक्त कालम में कोई परिवर्तन करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायगा।

4. उम्मीदवारों का सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जायगी।

5. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक (क्वालीफाइंग) अंक निर्धारित कर सकता है।

6. केवल सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे।

7. खराब लिखावट के कारण लिखित विषयों के पूर्णांक में से 5 प्रतिशत अंक काट लिए जाएंगे।

8. परीक्षा के सभी विषयों में कम से कम शब्दों में, क्रमबद्ध, प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक ठीक की गई भावाभिव्यक्ति को विशेष महत्व दिया जाएगा।

9. उम्मीदवारों से मुद्रा, तौल, और माप की मीट्रिक प्रणाली से परिचित होने की आशा की जाती है। प्रश्नपत्रों में यथाआवश्यक मुद्रा, तौल और माप की मीट्रिक प्रणाली से संबधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

अनुसूची

परीक्षा का पाठ्य विवरण

1—निबन्ध : दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर निबन्ध लिखना होगा।

2. सामान्य अंग्रेजी :

(1) सार-लेखन और मसौदा लेखन :—अंग्रेजी समझने और लिखने की शक्ति की परीक्षा करने के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। आम तौर पर, संक्षेप या सार लिखने के लिए अवतरण (प्लेसज) दिये जाएगे। उम्मीदवारों को कुछ सामग्री दी जाएगी और उन्हें सामग्री का समुचत उपयोग करते हुए पत्रों, ज्ञापनों आदि के मसौदे तैयार करने को भी कहा जाएगा।

(ii) पर्यायों, विलोमों, शब्दों तथा पदों के मुहावरेदार प्रयोग और सामान्य मूलों के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे।

(iii) शब्द-भेद (पार्टस आफ स्पीच), वाक्य-विश्लेषण, वाक्य रचना तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन (डायरेक्ट और इन डायरेक्ट स्पीच)।

नोट—प्रश्न पत्र 2 में सार लेखन के लिए 75 अंक, मसौदा लेखन के लिए 75 अक और व्याकरण, मुहावरों आदि के लिए 50 अंक होंगे

प्रश्न पत्र 1 और 2 में का उद्देश्य उम्मीदवारों की शुद्ध भाषा लिखने की योग्यता की परीक्षा करना है। वाक्य-विन्यास तथा योजना, सामान्य अभिव्यक्ति और भाषा के व्यावहारिक प्रयोग पर ध्यान दिया जाएगा।

3 अंकगणित :

अनुपात तथा समानुपात, प्रतिशतता, औसत, आंकड़ों का ग्राफीय निरूपण, रेखिक ग्राफों का पढ़ना और आंकड़ों का सारणीकरण।

बुद्धिमत्ता, यथातथ्यता और काम को तेजी से करने की योग्यता की जांच करने के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे।

4 सामान्य ज्ञान, जिसमें भारत का भूगोल भी शामिल है :

सामयिक घटनाओं का ज्ञान और जो कुछ हम प्रतिदिन देखते और अनुभव करते हैं उनके वैज्ञानिक पक्षों का ज्ञान, जो एक ऐसे साधारण पढ़े लिखे आदमी को होना चाहिए जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो इस प्रश्न में भारतीय भूगोल संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रश्न पत्र में भारतीय इतिहास से संबंधित ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे जिसका उत्तर उम्मीदवार बिना किसी विशेष अध्ययन के ही दे सकते हैं।

परिशिष्ट-III

उन सेवाओं/पदों से सम्बन्धित संक्षिप्त विवरण जिनके लिए इस परीक्षा के द्वारा भर्ती की जा रही है।

1. (1) केन्द्रीय सचिवालय सेवा

केन्द्रीय सचिवालय सेवा में इस समय नीचे लिखे चार ग्रेड हैं :—

(1) सेलेक्शन ग्रेड (उप सचिव या समकक्ष अधिकारी) रु० 1100-50-1300-60-1600-100-1800।

(2) ग्रेड 1 (अवर सचिव या समकक्ष अधिकारी) रु० 900-50-1250।

(3) अनुभाग अधिकारी ग्रेड-रु० 350-25-500-30-590-द० रो०-30-800- द० रो०-30-830-35-900।

(4) सहायक ग्रेड : रु० 210-10-270-15-300-द० रो०-15-450-द० रो०-20-530।

नोट : जो सहायक, अनुभाग अधिकारियो के पद पर पदोन्नत किये जाते हैं, उन्हें कम से कम 400 रु० प्रति मास वेतन दिया जाएगा।

(2) सहायकों के रूप में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा। इस परिवीक्षा अवधि में उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी। यदि परिवीक्षाधीन सहायक प्रशिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सकें तो उसे सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।

(3) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर सरकार परिवीक्षाधीन को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को, जितना उचित समझे और बढ़ा सकती है।

(4) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में भर्ती किए गए सहायकों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा योजना में शामिल किसी एक मंत्रालय या कार्यालय में नियुक्त किया जा सकता है। तथापि उन्हें किसी भी समय ऐसे किसी एक मंत्रालय या कार्यालय में स्थानान्तरण किया जा सकता है।

(5) सहायक इस संबंध में समय समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ऊंचे ग्रेड में पदोन्नति पा सकेंगे।

(6) जिन व्यक्तियों को उनके अपने ही विकल्प के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड में नियुक्त किया गया हो वे अपनी इस नियुक्ति के बाद भारतीय विदेश सेवा (बी) या रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा योजना के संवर्ग (केडर) के किसी पद पर स्थानान्तरण या नियुक्त का दावा नहीं कर सकेंगे।

(II) भारतीय विदेश सेवा (बी)

विदेश मंत्रालय में और विदेशों में स्थित भारतीय राजनियक, कांसुली एवं वाणिज्यक दूतावासों व केन्द्रों में सहायकों के सभी पद तथा विदेश व्यापार मंत्रालय में सहायकों के कुछ पद भारतीय विदेश सेवा (बी) के सामान्य संवर्ग के ग्रेड 4 में सम्मिलित हैं। ग्रेड 4 के नीचे के ग्रेडों को छोड़कर भारतीय विदेश सेवा (बी) के सामान्य संवर्ग के विभिन्न ग्रेड निम्नलिखित हैं:—

ग्रेड	पद	वेतन मान
ग्रेड 1	मुख्यालय में अवर सचिव विदेश में स्थित दूतावासों और केन्द्रों में प्रथम और द्वितीय सचिव।	रु० 900-50 1250।
एकीकृत ग्रेड 2 और 3	मुख्यालयों में सहकारी और अनुभाग अधिकारी विदेशों में स्थित दूतावासों और केन्द्रों में उप कांसुल और रजिस्ट्रार।	रु० 350-25-500-30-590-द० रो०-30-800-द०रो०-30-830-35-900।
ग्रेड 4	मुख्यालय में तथा विदेशों में स्थित दतावासों और केन्द्रों में सहायक	रु० 210-10-270-15-300-द० रो०-15-450-द० रो०-20-530।

टिप्पणी :—एकीकृत ग्रेड II और III में पदोन्नत सहायकों को कम से कम 480 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है।

2. भारतीय विदेश सेवा (बी) के संवर्ग के ग्रेड 4 (सहायक) के लिए चुने गये उम्मीदवारों को प्रारम्भ में अस्थायी रिक्तियों में नियुक्त किया जायेगा। फिर भी, वे अन्यथा पात्र होने पर अपनी बारी में, भारतीय विदेश सेवा (बी) (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियम 1964 के अनुसार स्थायी किए जायेंगे। किन्तु यह अभिस्थायी रिक्त स्थानों की उपलब्धि पर निर्भर होगा। उम्मीदवारों की ग्रेड 4 में नियुक्ति सामान्य तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित क्रमानुसार की जायगी यदि विदेश सेवा में सेवा के योग्य नहीं पाये जाने पर उन्हें अस्वीकार किया गया हो। विदेश सेवा के लिए उनकी उपयुक्तता को निर्धारण करने के लिए उम्मीदवार को एक चयन ग्रेड जो विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा गठित किया जायगा के समक्ष साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा।

3. भारती विदेश सेवा (बी) में सामान्य संवर्ग के ग्रेड 4 में सीधे भर्ती किए गये व्यक्तियों को दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रखा जायगा। इस दौरान उन्हें ऐसे प्रशिक्षण लेने होंगे और ऐसी परीक्षाएं पास करनी होगी जो सरकार द्वारा निर्धारित

की गई हों। प्रशिक्षण के दौरान सन्तोषजनक प्रगति न करने अथवा परीक्षाएं पास न करने के फलस्वरूप परिवीक्षाधीन को नौकरी से निकाला जा सकता है।

4. भारतीय विदेश सेवा (बी) में नियुक्त किए गए व्यक्तियों का केन्द्रीय सचिवालय सेवा और रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा संवर्ग में शामिल पदों पर नियुक्त किये जाने का अधिकार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी व्यक्ति जिन्हें भारत अथवा विदेश में किसी पद पर नियुक्त किया जाये सेवा करने को बाध्य होंगे।

5. भारतीय विदेश सेवा (बी) के सदस्य जब भारत में सेवायुक्त हों तो उन्हें अपने मूल वेतन के अतिरिक्त ऐसे भत्ते भी मिलेंगे जो अन्य केन्द्रीय सरकार के समान पद धारण करने वाले कर्मचारियों को मिलते हैं। जब ये अधिकारी विदेश में नियुक्त किए जाते हैं तो कुछ रियायतें पाने के हकदार होंगे—जैसे उनके लाभ के लिये सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित स्केल के अनुसार विदेश भत्ता, निःशुल्क फर्नीचर युक्त निवास स्थान, बच्चों का शिक्षण भत्ता, सज्जा भत्ता और उनके तथा उनके परिवार इत्यादि के लिए यात्रा भाड़ा इत्यादि किया जाता है। ये रियायतें ऐसे सामान्य नियमों के अनुसार जो कि सरकार लेती है वापस ली जा सकती है, संशोधित की जा सकती है अथवा बढ़ाई जा सकती है।

6. भारती विदेश सेवा (बी) में नियुक्त सभी अधिकारी भारतीय विदेश सेवा (शाखा-बी) (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियम 1964 के अधीन और अन्य ऐसे नियमों और विनियमों के अधीन होंगे जो सेवा पर लागू होने के लिए सरकार भविष्य में बनाये।

7. भारतीय विदेश सेवा (बी) के समामन्य संवर्ग (सहायक) के ग्रेड 4 में नियुक्त व्यक्ति, भारतीय विदेश सेवा (शाखा-बी) (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियम 1964 में समाविष्ट उपबन्धों के अनुसार उच्च ग्रेडों में पदोन्नति पाने के पात्र होंगे।

टिप्पणी:—भारतीय विदेश सेवा (भर्ती, संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियम 1961 के अनुसार भारतीय विदेश सेवा (बी) के ग्रेड-1 के अधिकारियों को भारतीय विदेश सेवा (ए) के वरिष्ठ वेतन मान में पदोन्नति के लिए 900-50-1000-60-1600-50-1800 के वेतनमान में सीमित कोटा उपलब्ध है।

(iii) रेलवे बोर्ड सचिवालय

(क) जहां तक भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि का संबंध है, रेलवे मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारियों की सेवा की शर्तें रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियम, 1969 द्वारा नियमित होती है जो मोट तौर पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम 1962 के समान ही हैं।

(ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में नीचे लिखे ग्रेड शामिल हैं :—

(I)	प्रवर ग्रेड संयुक्त निदेशक उप सचिव रेलवे बोर्ड के ग्रेड के ऐसे पद जो रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर धारण किये जाते हैं।	रु० 1100-50-1300 -60-1600-100-1800।
(II) (क)	उप निदेशकों का ग्रेड : उप-निदेशक रेलवे बोर्ड के ऐसे पद जो रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर धारण किये जाते हैं।	रु० 900-50-1250+ विशेष वेतन 200 रु० मासिक।
(ख)	ग्रेड 1 : सहायक निदेशक और अवर सचिव।	रु० 900-50-1250
(III)	अनुभाग अधिकारी ग्रेड	रु० 350-25-500-30-590-द० रो०-30-800-द० रो०-30-830-35-900।
(IV)	सहायक ग्रेड	रु० 210-10-270-15-300-द० रो०-15-450-द० रो०-20-530।

अनुभाग अधिकारियों और सहायकों के पदों पर सीधी भर्ती की जाती है। जो सहायक, अनुभाग अधिकारियों के पद पर पदोन्नति किये जाते हैं, उन्हें कम से कम 400 रु० प्रतिमास वेतन दिया जाता है।

(ग) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा रेलवे मंत्रालय तक ही सीमित है और इसके कर्मचारियों का स्थानान्तरण केन्द्रीय सचिवालय सेवा की भांति अन्य मंत्रालयों को नहीं हो सकता।

(घ) सहायकों के रूप में सीधी भर्ती किये गए अधिकारियों को सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी। यदि प्रशिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सकें या परीक्षाएं पास न कर सकें तो उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा।

(ङ) सहायक इस संबंध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ऊंचे ग्रेडों में पदोन्नति पा सकेंगे।

(च) इन नियमों के अन्तर्गत भर्ती किए गए रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारी :—

(i) पेंशन के लाभों के पात्र होंगे और

(ii) जिस दिन कार्य सम्भालें उस तारीख को नियुक्त रेलवे कर्मचारियों पर लागू होने वाले गैर-अंशदायी राज्य रेल भविष्य निधि के नियमों के अन्तर्गत निधि में अभिदान करेंगे।

(छ) रेल मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारियों को अन्य रेल कर्मचारियों के समान ही पास और सुविधा टिकट आदेश की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ज) जहां तक छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तों का संबंध है, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में शामिल किए गए कर्मचारियों को रेलवे के अन्य अधिकारियों के समान ही समझा जाता है; परन्तु चिकित्सा सुविधाओं के मामले में इन पर वे ही नियम लागू होंगे जो केन्द्रीय सरकार के उन अन्य कर्मचारियों पर लागू होते हैं, जिनके मुख्यालय नई दिल्ली में हैं:

(IV) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा

सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में इस समय नीचे लिखे चार ग्रेड हैं :—

(1) वरिष्ठ सिविल स्टाफ अफसर (श्रेणी-I) रु० 1100-50-1400।

(2) सिविल स्टाफ अफसर (श्रेणी-I) रु० 740-30-800-50-1150।

(3) सहायक सिविल स्टाफ अधिकारी (श्रेणी-II राजपत्रित) रु० 350-25-500-30-590-द०रो०-30-800।

(4) सहायक (श्रेणी-II अराजपत्रित रु० 210-10-270-15-300-द रो -15-950-द०रो०-20-530।

नोट :—सहायक के ग्रेड के अधिकारी को सहायक सिविल स्टाफ अधिकारी के ग्रेड पर पदोन्नत होने पर सहायक सिविल स्टाफ अधिकारी के ग्रेड के वेतनमान में कम से कम 400 रु० का आरम्भिक वेतन दिया जायगा।

(2) सहायकों के रूप में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जायगा। इस परिवीक्षा-अवधि में उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी। यदि परिवीक्षाधीन सहायक प्रशिक्षण अवधि में प्रयाप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो उसे सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।

(3) परिवीक्षा-अवधि के समाप्त होने पर सरकार परिवीक्षाधीन को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को, जितना उचित समझे, और बढ़ा सकती है।

(4) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में भर्ती किए गए सहायकों को सेवा मुख्यालय या सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा योजना में शामिल अन्तर सेवा संगठनों में से किसी एक में नियुक्त किया जा सकता है। तथापि, उन्हें किसी भी समय ऐसे किसी अन्य मुख्यालय या कार्यालय में स्थानांतरित किया जा सकता है।

(5) सहायक इस संबंध में समय समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ऊंचे ग्रेडों में पदोन्नति पा सकेंगे।

(6) जो व्यक्ति सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के सहायकों के ग्रेड में नियुक्त हो गए हैं, उनका, ऐसी नियुक्ति के उपरान्त, इस सेवा से बाहर किसी पद पर नियुक्ति अथवा स्थानांतरण के लिए कोई अधिकार नहीं होगा।

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 अक्तूबर 1971

संकल्प

सं० आर० एम०-5(6)/70—उष्मसह विशेषज्ञ समिति की स्थापना के बारे में भारत के तारीख 6-2-71 के राजपत्र में प्रकाशित तारीख 7-1-1971 के संकल्प संख्या 5(6)/70 (समय-समय पर यथा संशोधित) का आंशिक आशोधन करते हुए भारत सरकार ने निश्चय किया है कि इस संकल्प की तारीख से भारतीय खान ब्युरो, नागपुर के डिप्टी मिनरल इकोनामिस्ट श्री जी० डी० कालरा इस समिति के सदस्य होंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाए।

के० वी० रामनाथन, संयुक्त सचिव

औद्योगिक विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 अक्तूबर 1971

संकल्प

सं० 3-1/70-एम० टी०—भारत सरकार ने संकल्प सं० 4-32/67-एम० टी० दिनांक 17 जनवरी, 1969 के द्वारा भट्ठी उद्योग के विकास से संबंधित विभिन्न मामलों की समीक्षा करने तथा इस उद्योग के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं पर समय-समय पर उचित सुझाव देने के विचार से भट्ठी उद्योग के हेतु एक नामिका का गठन किया था। नामिका का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर, अब भट्ठी उद्योग की नामिका का पुनर्गठन करने का निश्चय किया गया है, जिसमे निम्नलिखित सदस्य होंगे :

1. श्री आर० के० गेज्जी, सदस्य
निदेशक,
केन्द्रीय मशीनी औजार संस्थान,
बंगलौर-22।

2. श्री अर्जन वसवानी, अध्यक्ष, सदस्य
औद्योगिक भट्ठी डिवीजन,
इंडियन इंजीनियरिंग एसोसियेशन, तथा
प्रबंध निदेशक, वेसमैन इंजीनियरिंग कम्पनी लि०,
एलेनबरा कोर्ट, 1/2 एलेनबरी रोड,
कलकत्ता-20।

3. श्री वाई० पी० वत्स, सदस्य
ग्रुप मैनेजर (भट्ठी),
मे० जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी आफ इंडिया लि०,
6-चितरंजन एवेन्यु, कलकत्ता-13।

4. श्री एच० टी० मखीजनी, सदस्य
चीफ टैक्नीकल एक्जीक्यूटिव,
मे० वैस्टरवर्क इंजीनियर्स प्रा० लि०,
5-डी०, वलरन इन्शोरेंस बिल्डिंग,
वीर नारी मैन रोड, चर्चगेट, बम्बई-20 (बी० आर०)

5. श्री एम० एस० मलानी, सदस्य
मे० वल्कन इंजीनियर्स प्रा० लि०,
महालक्ष्मी चैम्बर्स,
मूलाभाई देसाई रोड,
बम्बई-26 (प० य०)

6. डा० डी० पी० चटर्जी, सदस्य
आई० ओ० एफ० एम०,
परामर्शदाता इंजीनियर,
निवारन स्मृति बैली,
हावड़ा (पश्चिम बंगाल)

7. श्री पी० सी० लाहा, सदस्य
उप मुख्य इंजीनियर (सी० ई० डी० बी०)
हिन्दुस्तान स्टील लि०,
रांची ।

8. श्री जी० एम० रामशेषन, सदस्य
ए० डी० जी० ओ० एफ० (प्रोजेक्ट),
महानिदेशक, आर्डनेंस फैक्टरी,
44-पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता-16 ।

9. श्री सी० के० मोदी, सदस्य,
उप सचिव,
औद्योगिक विकास मंत्रालय,
उद्योग भवन, नई दिल्ली ।

10. श्री गुरबक्श सिंह, सदस्य
औद्योगिक सलाहकार (टूल्स)
तकनीकी विकास का महा निदेशालय,
उद्योग भवन, नई दिल्ली ।

11. श्री आर० एम० बसु, सदस्य-सचिव
विकास अधिकारी (टूल्स),
तकनीकी विकास का महानिदेशालय,
उद्योग भवन, नई दिल्ली ।

नामिका का कार्यकाल एक वर्ष का होगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए और इसे सर्व साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाये ।

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 अक्तूबर, 1971

सं० 1-11/69-एच० एम० (1)—भूतपूर्व इस्पात खान तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय के संकल्प संख्या 1-2/63 दिनांक 25 मार्च, 1964 के संदर्भ में जो बाल बियरिंग उद्योग की नामिका का गठन करने के बारे में है ।

2. समय-समय पर परिवर्तन किये जाने से नामिका निम्न-प्रकार से पुनर्गठन करने का निश्चय किया गया है :—

क्र० सं०	नाम	पदनाम
1.	श्री एम० एम० बाडी, वरिष्ठ औद्योगिक सलाहकार (इंजीनियरी) तकनीकी विकास का महानिदेशालय, नई दिल्ली ।	अध्यक्ष
2.	श्री सी० के० मोदी, उप-सचिव, औद्योगिक विकास मंत्रालय, नई दिल्ली ।	सदस्य
3.	श्री एम० आई पटेल, प्रबंध निदेशक, ऐंटीफ्रिकशन बियरिंग्स कारपोरेशन लिमिटेड, लोनावला (महाराष्ट्र)	सदस्य
4.	श्री श्रीधर, श्री राम बियरिंग्स इंडिया लिमिटेड, डी० सी० एम० प्रीमिसेज बाड़ा हिंदुराव, दिल्ली ।	सदस्य
5.	श्री जी० माधवन, प्रबंध निदेशक, मे० इंडो-निप्पान प्रेसिज़न बियरिंग्स लि०, हैदराबाद ।	सदस्य
6.	श्री वी० पी० सोनी, संयुक्त निदेशक, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली ।	सदस्य
7.	श्री आर० दत्त, मुख्य अभियंता (चीफ इंजीनियर), राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि०, उद्योग भवन, विनय मार्ग, नई दिल्ली-21 ।	सदस्य
8.	श्री एस० के० सेन, निदेशक, भारतीय मानक संस्था, 1/9, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-1 ।	सदस्य
9.	श्री सी० जे० तलसानिया, दि प्रीमियर आटोमोबाइल लि०, आगरा रोड, कुरला, बम्बई-70	सदस्य

10. श्री पी० एम० पियारा, सदस्य
प्रबंधक (ऐंसिलरीज डेवलपमेंट),
टाटा इंजीनियरिंग ऐंड लोकोमोटिव कम्पनी लि०
बम्बई हाउस, 24 ब्रुस स्ट्रीट,
बम्बई-1 ।

11. श्री ए० सी० गुप्ता, सदस्य
ज्योति लिमिटेड,
इंडस्ट्रियल एरिया
बड़ौदा-3 ।

12. श्री एम० के० जोशी, सदस्य
निदेशक,
प्रेसिजन बीयरिंगस इंडियन लि०,
वार्वल हाउस, 15 ग्राह्म रोड,
बम्बई-1 ।

13. श्री जे० डी. थिरान, सदस्य
महाप्रबंधक,
नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज लि०,
जयपुर ।

14. श्री बी० फेडिकशन, सदस्य
प्रबंध निदेशक,
एसोसियेटेड बियरिंग कम्पनी, लि०,
महात्मागांधी स्मारक भवन,
नेताजी सुभाष रोड,
बम्बई-2 ।

15. श्री ए० एस० जयरामन, सदस्य
वाहन निदेशक, (डाइरेक्टर आफ वैहिकल्स)
अनुसंधान तथा विकास रक्षा मंत्रालय
नई दिल्ली ।

16. श्री त्रिलोयन सिंह साहनी, सदस्य
प्रबंध निदेशक,
नोडल बीयरिंग कं० लि०,
थाना (महाराष्ट्र) ।

17. श्री एन० कृष्णस्वामी,
औद्योगिक सलाहकार,
तकनीकी विकास का महानिदेशालय,
नई दिल्ली ।

18. श्री एम० राम राव, सदस्य-सचिव,
विकास अधिकारी,
तकनीकी विकास का महानिदेशालय,
नई दिल्ली ।

एस० कमल, अवर सचिव ।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय
(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 जुलाई 1971

प०सं० 2-74/71-अस्पताल—भारत सरकार समझती है कि विलिंग्डन अस्पताल एवं परिचर्या गृह, नई दिल्ली की कार्य दक्षता और सेवाओं में सुधार करने के लिये यह आवश्यक है कि एक ऐसा प्रभावकारी और शीघ्रता से काम करने वाला कार्यतंत्र बनाया जाय जो बिना किसी अनावश्यक विलम्ब के निर्णय ले और वित्तीय स्वीकृतियां देने में देर न करे । तद्नुसार यह निश्चय किया गया है कि भारत सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय की सामान्य देख रेख में एक उच्च शक्ति प्राप्त नियंत्रण मंडल का गठन किया जाय और उक्त दोनों अस्पतालों का संचालन कार्य उसके अधीन हो ।

2. विलिंग्डन और सफदरजंग अस्पताल के इस नियंत्रण मंडल में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(1) सचिव (स्वास्थ्य)	अध्यक्ष
(2) संयुक्त सचिव (सं०) स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
(3) स्वास्थ्य सेवाओं का महानिदेशक	सदस्य
(4) चिकित्सा अधीक्षक, विलिंग्डन अस्पताल	सदस्य
(5) चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल	सदस्य
(6) मुख्य अभियंता, सिविल (के०लो०नि० वि०)	सदस्य
(7) वरिष्ठ वास्तुविदा (स्वा०से०म०मि०)	सदस्य
(8) औषधि नियंत्रक, भारत	सदस्य
(9) उप सचिव (आ० वि० स०)	सदस्य
(10) उप सचिव (चि०)	सदस्य सचिव

3. (क) इस मंडल का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

यह मंडल जब कभी भी आवश्यक समझेगा अपनी बैठक बुलायेगा तथा ऐसे अधिकारियों/विशेषज्ञों को जिन्हें वह आवश्यक समझे अपनी बैठकों में बुला सकेगा । इस मंडल को यह भी अधिकार होगा कि यदि यह किसी कार्य के लिये आवश्यक समझे तो उप समितियां भी नियुक्त कर सकता है । यह मंडल विशेषतया और उपर्युक्त उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित कार्य करेगा :—

(1) विलिंग्डन अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल से संबंधित सभी विषयों पर निर्णय लेना जिनमें उन अस्पतालों का विस्तार करना और आधुनिकीकरण भी सम्मिलित है ।

(2) निर्णय लेने तथा बजट प्रावधान में से धन की स्वीकृति के मामले में स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय को यथा प्रदत्त सभी शक्तियों का उपयोग करना ।

(3) विलिंग्डन अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षकों को प्रशासनिक और वित्तीय दोनों प्रकार की ऐसी शक्तियां सौंपने के प्रश्न की जैसी कि वह आवश्यक समझे समय-समय पर जांच करना और उनकी मंजूरी देना ;

(4) अपने कार्य संचालन के प्रयोजन के लिये शक्तियों के प्रत्यायोजन और कार्य प्रणाली के संबंध में नियम तैयार करना ।

(5) विलिंग्डन और सफदरजंग अस्पतालों से, जैसा यह विहित करे, प्रतिवेदन और विवरणियां प्राप्त करना; और

(6) विलिंग्डन और सफदरजंग अस्पतालों के अधिकारियों/डाक्टरों के मामलों में जिम्मेदारी निश्चित करना तथा समुचित अनुशासनिक कार्यवाही की सिफारिश करना ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशालय/विलिंग्डन और सफदरजंग अस्पतालों के नियंत्रण मंडल के सभी सदस्यों को भेज दी जाये ।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

प्रेमा जोहरी, *संयुक्त सचिव*

नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्टूबर 1971

सं० प० 2-206/71-एम० ई० (पी० जी०)—आम सूचना के लिये यह अधिसूचित किया जाता है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, जो कि एक सांविधानिक निकाय है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अधिनियम 1956 (1956 का 25) की धारा 24 के अधीन निम्नलिखित उपाधियां प्रदान करने के लिये नीचे लिखे अतिरिक्त पाठ्यक्रम चला रही है, नामत:—

(i) विकिरण-निदान में एम०डी०; और

(ii) विकिरण चिकित्सा में एम० डी०

2. आम सूचना के लिये यह अधिसूचित किया जाता है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम की धारा 23 के अनुसार उक्त अधिनियम के अधीन इस उक्त संस्थान द्वारा पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन प्रदत्त उपाधियों एवं डिप्लोमा भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनिम, 1956 के प्रयोजना के लिये मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हतायें होंगी तथा उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में सम्मिलित समझा जाय ।

3. जब से विकिरण-निदान तथा विकिरण चिकित्सा में एम० डी० की उपाधि दी जाने लगी है तब से विकिरण विज्ञान में एम० डी० की उपाधि देना बन्द कर दिया गया है ।

एन० एस० भाटिया, *अवर सचिव*

नई दिल्ली, दिनांक 26 अक्टूबर, 1971

संकल्प

सं० एफ० 16-19/70-ज० स्वा० ई०—दिल्ली में जल पूर्ति और मल निस्कासन प्रणाली की एक बृहद् योजना (मास्टर प्लान) तैयार करने के लिये इस मंत्रालय के 20 जून, 1970 के संकल्प संख्या एफ० 16-19/70-ज०स्वा ई० के अनुसार एक समिति का गठन किया गया था । भारत सरकार ने उक्त समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि को अब बढ़ा कर जनवरी, 1972 के अन्त तक कर दिया है ।

आदेश

निदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाये ।

एस० के० सुधाकर, *अवर सचिव*

नौवाहन तथा परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, दिनांक 22 अक्तूबर 1971

संकल्प

सं० 20-पी० जी० (9)/70—नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय के संकल्प संख्या 20-पी० जी० (9)/70 दिनांक 15 दिसंबर, 1970 में संशोधन करते हुए, भारत सरकार ने पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल के भूतपूर्व सलाहकार (सिंचाई तथा जल मार्ग विभाग के प्रभारी) के स्थान पर पश्चिमी बंगाल सरकार के मुख्य सचिव को राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड के सदस्य के तौर पर नियुक्त करने का फैसला किया है ।

2. भारत सरकार ने निम्नलिखित व्यक्तियों को भी राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया है :

1. श्री ब्रह्मानंद पांडा, सदस्य, राज्य सभा ।
2. श्री कल्याण राय, सदस्य, राज्य सभा ।
3. श्री शंकर राव सांवत, सदस्य, लोक सभा ।
4. श्री एम० एस० संजीवी राव, सदस्य, लोक सभा ।
5. डा० महीपत्रेय मेहता, सदस्य, लोक सभा ।
6. श्री के० के० शेट्टी, सदस्य, लोक सभा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बोर्ड के सदस्यों, राष्ट्रपति, के सचिव, प्रधान मंत्री के सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग/भारत सरकार के मंत्रालय विभाग तथा संबंधित राज्य सरकारों को प्रेषित की जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिये उक्त संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

के० नारायणन, *संयुक्त सचिव*

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 अक्तूबर 1971

संकल्प

सं० एफ० सी० 11(28)/71—पिछले तीन वर्षों के दौरान बाढ़ों और जल-निकास अवरोध का प्रभाव निचले दामोदर बेसिन पर पड़ा है और इसके परिणामस्वरुप फसल को भारी नुकसान पहुंचा है और बहुत बड़ी जनसंख्या को परेशानी उठानी पड़ी है । इसलिये यह आवश्यक समझा गया है कि हाल के वर्षों में अनुभव की गई गंभीर परिस्थितियों के कारणों का विस्तृत अध्ययन कराया जाय और उस क्षेत्र में होने वाली आवर्तक क्षति के संबंध में मार्गोपाय निकाले जायें । इस प्रयोजन से भारत सरकार ने एक समिति गठित करने का निश्चय किया है ।

2. समिति निम्नलिखित व्यक्तियों की होगी :—

(1) अध्यक्ष, केंद्रीय जल और विद्युत आयोग	अध्यक्ष
(2) अध्यक्ष, जल और विद्युत विकास परामर्श सेवाएं (भारत)	सदस्य

(3) मुख्य इंजीनियर, सिंचाई, पश्चिम बंगाल सदस्य

(4) मुख्य इंजीनियर, सिंचाई, बिहार ,,

(5) महाप्रबंधक, दामोदर घाटी निगम ,,

(6) प्रबंधक, जलाशय, प्रचालन, मैथन सदस्य-सचिव

3. समिति के विचारार्थ विषय ये होंगे :—

(1) हाल के वर्षों में निचले दामोदर क्षेत्र में बाढ़ और जल निकास अवरोध के कारणों का अध्ययन करना।

(2) 1969 में केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग और बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों की सलाह से और उनकी सहमति से तैयार किये गये दामोदर-घाटी निगम के जलाशयों की प्रचालन-नियम-पुस्तक में प्रतिपादित नियमों और विनियमों का पुनरीक्षण करना और निचले दामोदर-क्षेत्र में बाढ़ और जल-निकास अवरोध को कम करने की दृष्टि से सुधारों और संशोधनों के सुझाव रखना।

(3) नीचे लिखे कार्यों द्वारा बाढ़ के जल के संग्रहण में वृद्धि कर के दुर्गापुर बराज के जल-निस्सार-अनुप्रवाह को 2.5 लाख क्यूसेक की हद तक सीमित करके, जिसके लिए निम्नवर्ती दामोदर नहरीकरण योजना का डिजाइन तैयार किया जा रहा है और उसे कार्यान्वित किया जा रहा है, अधिक ऊंची बाढ़ों के नियंत्रण की संभावना की जांच करना :—

(क) माइथन और पंचेत बांधों में पूर्ण-जलाशय स्तर तक भूमि और सम्पत्ति का अधिग्रहण।

(ख) तेनू घाट बांध में बाढ़ संग्रहण की व्यवस्था।

(ग) अपर दामोदर बेसिन में और अधिक बांधों का निर्माण।

4. समिति दो महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट दे देगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति पश्चिम बंगाल और बिहार की राज्य सरकारों/अध्यक्ष, दामोदर घाटी निगम/प्रधान मंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति के निजी और सैनिक सचिव और भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक/योजना आयोग को सूचनार्थ भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार और बिहार की राज्य सरकार से अनुरोध किया जाए कि वे इसे राज्य के राजपत्र में सामान्य सूचनार्थ प्रकाशित करें।

बी० एस० बंसल, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel)

New Delhi, the 13th November, 1971

Rules

No. 6/31/71-*CS(I)*.—The Rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1972 for the purpose of filling vacancies in the following Services/posts are published for general information :—

(i) Grade IV of the General Cadre (Assistants) of the Indian Foreign Service (B);

(ii) Grade IV (Assistants) of the Railway Board Secretariat Service;

(iii) Assistants' Grade of the Central Secretariat Service;

(iv) Assistants' Grade of the Armed Forces Headquarters Civil Service;

(v) Posts of Assistant in the Directorate General, Research, Designs & Standards Organisation, Lucknow; and

(vi) Posts of Assistant in other departments and Attached Offices of the Government of India not participating in the I.F.S. (B)/ Railway Board Secretariat Service/ Central Secretariat Service/Armed Forces Headquarters Civil Service.

A candidate may compete in respect of any one or more of the Services/posts mentioned above. He may specify in his application as many of these Services/posts as he may wish to be considered.

N.B.—Candidates are required to specify clearly the order of preferences for the Services/posts for which they wish to be considered. No request for alteration in the order of preferences for the Services/posts originally indicated by a candidate in his application, would be considered unless such a request is received in the office of the Union Public Service Commission on or before 30th November, 1972.

2. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix II to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

3. A candidate must be either :—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Sikkim or

(c) a subbject of Nepal, or

(d) a subject of Bhutan, or

(e) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(f) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Ceylon and East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (c), (d), (e) and (f) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also provisionally be appointed subject to the necessary certificate being given to him by the Government.

4. No cannidate who does not belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or is not a resident of the Union Territory of Pondicherry or is not a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu or is not a migrant from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) shall be permitted to compete more than two times at the examination. This restriction is effective from the examination held in 1962.

NOTE 1.—For the purpose of this rule, a candidate shall be deemed to have competed at the examination once for all the Services/posts covered by the examination, if he competes for any one or more of the Services/posts.

NOTE 2.—A candidate shall be deemed to have completed at the examination if he actually appears in any one or more subjects.

5. (a) A candidate for this examination must have attained the age of 20 years and must not have attained the age of 24 years on the 1st January, 1972 *i.e.*, he must have been born not earlier than 2nd January, 1948 and not later than 1st January, 1952.

Provided that a candidate who was born earlier than 2nd January, 1948 but not earlier than 2nd January, 1947, shall also be eligible for admission to this examination. This relaxation would be admissible for the examination to be held in 1972 only.

(b) The upper age limit prescribed above will be relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person, from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January, 1964;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January, 1964;

(iv) up to a maximum of five years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondicherry and has received education through the medium of French at some stage;

(v) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda or the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar);

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) up to maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June 1963;

(x) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;

(xi) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes; and

(xii) up to a maximum of three years, if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

6. A candidate must hold a degree of any of the universities enumerated in Appendix I or must possess any of the qualifications mentioned in Appendix I-A.

NOTE I.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at this examination but has not been informed of the result may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply, provided the qualifying examination is completed before the commencement of this examination, such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination, as soon as possible, and in any case not later than two months after the commencement of this examination.

NOTE II.—In exceptional cases, the Union Public Service Commission may treat a candidate who has not any of the above qualifications, as educationally qualified provided that he has passed an examination, conducted by other institutions, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

NOTE III.—Candidates who are otherwise eligible but who have taken degrees from foreign universities which are not included in Appendix I may also apply and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

7. No person

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

8. A candidate already in Government Service, whether in a permanent or temporary capacity, must obtain prior permission of the Head of the Department to appear for the examination.

9. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the Service, A candidate, who after such medical examination, as may be prescribed by the competent authority, is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

10. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied, after such enquiry as may beconsidered necessary, that the candiate is suitable in all respects for appointment to the Service/post.

11. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a cadidate for admission to the examination shall be final

12. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

13. Candidates must pay the fee prescribed in Annexure I to the Commission's Notice.

14. Any attempt on the part of a candiate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission.

15. A candidate who is or has been declared by the Commission guilty of impersonation or of submitting fabricated documents or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination or of using or attempting to use unfair means in the examination hall or of misbehaviour in the examination hall, may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution,—

(a) be debarred permanently or for a specified period :

(i) by the Commission, from admission to any examination or appearance at any interview held by the Commission for selection of candiates : and

(ii) by the Central Government from employment under them

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules, if he is already in service under Government.

16. Reservations shall be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Castes) (Part C States) Order, 1951, the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, and the Constitution (Scheduled Tribes) (Part C States) Order, 1951, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956 read with the Bombay Reorganisation Act, 1960 and the Punjab Reorganisation Act, 1966; the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968 and the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

17. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination :

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed, standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for appointment to the Services/posts, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

18. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion, and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

19. Due consideration will be given, at the time of making appointments on the results of the examination, to the preferences expressed by a candidate for various Services/posts, (cf. col. 25 of the application form).

20. Appointments will be made on probation for a period of two years. The period of probation may be extended, if considered necessary.

21. Candidates will be required to pass a test in typewriting at a minimum speed of 30 words per minute, within a period of two years from the date of appointment to the Assistants' Grade. In the event of their failure to pass the test within the prescribed period, they shall not be entitled to draw any further increments in the Assistants' Grade until they pass such test or are exempted from this requirement under a special or general order; and on passing or being exempted from the test, their pay shall be refixed as if their increments had not been withheld, but no arrears of pay shall be allowed for the period the increments had been withheld.

22. Conditions of Service for Assistants in the Central Secretariat Service, Indian Foreign Service (B), the Railway Board Secretariat Service, the Armed Forces Headquarters Civil Service, the posts of Assistants in the Election Commission of India and the Department of Tourism, are briefly stated in Appendix III.

M. K. VASUDEVAN
Under Secretary

APPENDIX I

List of Universities approved by the Government of India

(*Vide* Rule 6)

Indian Universities

Any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational Institutes established by an Act of Parliament or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956.

Universities in Burma

The University of Rangoon.

The University of Mandalay.

English and Welsh Universities

The Universities of Birmingham, Bristol, Cambridge, Durham, Leeds Liverpool, London, Manchester, Oxford, Reading, Sheffield and Wales.

Scottish Universities

The Universities of Aberdeen Edinburgh, Glassgow and St. Andrews.

Irish Universities

The University of Dublin (Trinity College), The National University of Ireland, The Queen's University, Belfast.

Universities in Pakistan

The University of Punjab, The Dacca University, The University of Sind, The Rajashahi University.

University in Nepal

The Tribhuvan University, Kathmandu.

APPENDIX I-A

List of qualifications recognised for admission to the examination.

(*Vide* Rule 6)

1. Alankar degree of Gurukul Vishwa Vidyalaya, Kangri, Hardwar.
2. Shastri of Kashi Vidyapith, Varanasi.
3. French Examination "Propedeutique".
4. Diploma in Rural Services of the National Council of Rural Higher Education.
5. Diploma in Rural Services of the Visva Bharti University.
6. Diploma in Commerce of All India Council for Technical Education.
7. National Diploma in Engineering or Technology of the All India Council for Technical Education, recognised by the Government for recruitment to superior Services and posts under the Central Government.
8. Diploma in Mining Engineering of the Indian School of Mines, Dhanbad.
9. 'Higher Course' of Sri Aurobindo International Centre of Education, Pondicherry, provided that the Course has been successfully completed as a "full" student.
10. Shastri (with English) or Old Shastri or Sampurna Shastri examination with special examination in additional subjects with English as one of the subjects, i.e. Varishta Shastri of Varanaseya Sanskrit Viswa-Vidyalaya, Varanasi.
11. Diploma in the field of Humanities and Natural Sciences attesting graduation from a Higher Educational Establishment in the U.S.S.R. without defending first scientific thesis but having passed the State Examinations.

APPENDIX II

The subjects of the examination the time allowed and the maximum marks for each subject will be as follows:—

	Max. Marks	Time Allowed
1. Essay	100	2 hours
2. General English	200	3 hours
3. Arithmetic	100	2 hours
4. General Knowledge including Geography of India	100	2 hours

2. The syllabus for the examination will be as shown in the attached Schedule.

3. Candidates are allowed the option to answer Paper 1 or Paper 4 or both, either in Hindi (Devanagari) or in English. Paper 2 and Paper 3 must be answered in English by all candidates.

NOTE 1.—The option will be for a complete paper and not for different questions in the same paper.

NOTE 2.—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid paper(s) in Hindi (Devanagari) should indicate their intention to do so in col. 8 of the application form. Otherwise it would be presumed that they would answer all the paper(s) in English.

The option once exercised shall be treated as final; and no request for alteration in the said column shall be entertained.

4. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

5. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.

6. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

7. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks for the written subjects will be made for illegible handwriting.

8. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

9. Candidates are expected to be familiar with the metric system of Coins, Weights and Measures. In the question paper, wherever necessary, questions involving the use of metric system of Coins, Weights and Measures may be set.

SCHEDULE

SYLLABUS OF THE EXAMINATION

(1) Essay : An essay to be written on one of the several specified subjects.

(2) General English :

(i) Precis writing and drafting : Questions to test the understanding and power to write English. Passages will usually be set for summary or precis. Candidates will also be required to draft letters, memoranda, etc., making an intelligent use of given matter.

(ii) Questions on synonyms, antonyms, idiomatic use of words and phrases and common errors.

(iii) Parts of speech, analysis, syntax and direct and indirect speech.

NOTE.—In paper 2, questions on precis writing will carry 75 marks, drafting 75 marks and those on grammar, idioms etc. 50 marks.

The object of papers 1 and 2 is to test the candidates' ability to write the language correctly. Account will be taken of arrangements, general expression and workmanlike use of the language.

(3) Arithmetic :

Ratio and proportion, percentage, average, graphical representation of data, reading of linear graphs and tabulation of data.

The questions will be designed to test intelligence, accuracy and rapidity in working.

(4) General Knowledge including Geography of India :

Knowledge of current events and of such matters of every day observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will include questions on geography of India. The paper may also include questions on History of India of a nature which candidates should be able to answer without special study.

APPENDIX III

Brief particulars relating to the Services/posts to which recruitment is being made through this examination.

1. (i) Central Secretariat Service.

The Central Secretariat Service has at present four grades as follows :—

(1) Selection Grade (Deputy Secretary or equivalent)—Rs. 1,100—50—1,300—60—1,600—100—1,800.

(2) Grade 1 (Under Secretary or equivalent)=Rs. 900—50—1,250.

(3) Section Officers Grade—Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900.

(4) Assistants Grade—Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—40—EB—20—530.

NOTE.—Assistants promoted as Section Officers are allowed a minimum pay of Rs. 400 p.m.

(2) Persons recruited direct as Assistants will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

(3) On conclusion of the period of probation, the Government may confirm the probationer in his appointment or, if his work or conduct has, in the opinion of Government, been unsatisfactory he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(4) Assistants recruited to the Central Secretariat Service will be posted to one of the Ministries or Offices participating in the Central Secretariat Service Scheme. They may, however, at any time be transferred to any other such Ministry or Office.

(5) Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(6) Persons appointed to the Assistants' Grade of the Central Secretariat Service in pursuance of their option for that Service will not, after such appointment, have any claim for transfer or appointment to any post included in the cadre of the Indian Foreign Service (B) or the Railway Board Secretariat Service Scheme.

(ii) *Indian Foreign Service (B)*

All posts of Assistants in the Ministry of External Affairs and in Indian Diplomatic, Consular and Commercial Missions and Posts abroad, and a few posts of Assistants in the Ministry of Foreign Trade, are included in Grade IV of the General Cadre of the Indian Foreign Service (B). The various grades in the General Cadre of the Indian Foreign Service (B), excluding Grades lower than Grade IV are as follows :—

Grade	Designation	Scale of pay
Grade I	Under Secretariat at Hqrs. First and Second Secretaries in Missions and Posts abroad.	Rs. 900-50-1250
Integrated Grade II and III	Attaches and Section Officers at Hqrs. Vice-consuls and Registrars in Missions and Posts abroad.	Rs. 350-25-500-30-590-EB-30-800-EB-30-830 35-900.
Grade IV	Assistants at Hqrs. and in Missions and Posts abroad	Rs. 210-10-270-15-300-EB-15-450-EB-20-530.

NOTE—Assistants promoted to the Integrated Grade II and III are allowed a miiniumum pay of Rs. 400/- p. m.

2. Candidates selected for Grade IV (Assistants) of the General Cadre of the IFS(B) will be appointed initially against temporary vacancies. They will, however, be confirmed, if otherwise eligible, in their turn in accordance with the Indian Foreign Service 'B' (Recruitment, Cadre Seniority and Promotion) Rules, 1964, depending on the availability of substantive vacancies. Appointment to Grade IV, will normally be made in the order of ranks assigned to the candidates by the Union Public Service Commission subject to the rejection of those not found suitable for service abroad. To determine their suitability for service abroad candidates may be required to appear for an interview before a Selection Board to be constituted by the Ministry of External Affairs, New Delhi.

3. Persons recruited direct to Grade IV of the General Cadre of the Indian Foreign Service (B) will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from Service.

4. Persons appointed to the Indian Foreign Service (B) will have no claim to be appointed to posts included in the Cadre of the Central Secretariat Service, and the Railway Board Secretariat Service. Further, all such persons will be liable to serve in any post either in India or abroad, to which they may be posted.

5. While employed in India, members of the Indian Foreign Service (B) are allowed such allowances in addition to their basic pay as may be admissible to other Central Government employees holding similar posts. When posted abroad, these officers are eligible for the grant of certain concessions such as foreign allowance, free furnished residential accommodation, children's education allowance, outfit allowance and passages for themselves and for their families, etc., according to the scales laid down for the benefits by the Government from time to time. These concessions are liable to be withdrawn, modified or enhanced in accordance with such general decisions as the Government may take.

6. All Officers appointed to the I.F.S. (B) will be subject to the Indian Foreign Service (Branch B) (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964, and also by other rules and Regulations which the Government may hereafter frame and make applicable to the Service.

7. Persons appointed to Grade IV of the General Cadre (Assistants) of the I.F.S.(B) will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the provisions contained in the Indian Foreign Service (Branch B), (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964.

NOTE—In accordance with the Indian Foreign Service (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1961, a limited quota is available to officers in Grade I of the Indian Foreign Service (B) for promotion to the Senior Scale of the Indian Foreign Service (A) in the scale of pay of Rs. 900—50—1000—60—1600—100—1800.

(iii) *Railway Board Secretariat Service*

(a) The service conditions of staff employed in the Ministry of Railways so far as Recruitment, Training, promotion etc. are concerned are regulated by the Railway Board Secretariat Service Rules, 1969, which are broadly similar to the Central Secretariat Service Rules, 1962.

(b) The Railway Board Service consists of the following grades :

(i) Selection Grade : such posts in the grade of Joint Directors/Dy. Secretary Railway Board as may from time to time be held by officers of the Railway Board Secretariat Service—Rs. 1100—50—1300—60—1600—100—1800.

(ii) (a) Dy. Directors Grade : Such posts of Dy. Directors, Railway Boards as may from time to time be held by Officers of the Railway Board Secretariat Service—Rs. 900—50—1250 plus special pay of Rs. 200/- p.m.

(b) Grade I : Assistant Directors & Under secretaries—Rs. 900—50—1250.

(iii) Section Officers Grade—Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900.

(iv) Assistants Grade—Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530.

Direct recruitment is made to the posts of Section Officers and Assistants. Assistants promoted as Section Officers are allowed a minimum pay of Rs. 400/- p.m.

(c) The Railway Board's Secretariat Service is confined to the Ministry of Railways and the staff are not liable to transfer to other Ministries as in the Central Secretariat Service.

(d) Officers recruited direct as Assistants will have to undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by the Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests will result in the discharge from the service.

(e) Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(f) Officers of the Railway Board Secretariat Service recruited under these rules;

(i) will be eligible for pensionary benefits; and

(ii) shall subscribe to the non-contributory State Railway Provident Fund under the Rules of that fund as are applicable to Railway Servants apointed on the date they join service.

(g) The staff employed in the Ministry of Railways are entitled to the privilege of passes and privilege ticket orders on the same scale as are admissible to other Railway Staff.

(h) As regards leave and other conditions of service, staff included in the Railway Board's Secretariat Service are treated in the same way as other Railway Officers but in the matter of medical facilities they will be governed by the rules applicable to other Central Government employees with headquarters at New Delhi.

(iv) *The Armed Forces Headquarters Civil Service.*

The Armed Forces Headquarters Civil Service has at present four grades as follows :—

(1) Senior Civilian Staff Officer (Class I)—Rs. 1,100—50—1,400.

(2) Civilian Staff Officer (Class I)—Rs. 740—30—800—50—1,150.

(3) Assistant Superintendent Civilian Staff Officer (Class II—Gazetted) Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800.

(4) Assistant (Class II—Non-gazetted)—Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530.

NOTE.—An officer of the Grade of Assistant promoted to the Grade of Assistant Civilian Staff Officer shall be allowed a minimum initial pay of Rs. 400 in the scale for the Grade of Assistant Civilian Staff Officer.

(2) Persons recruited direct as Assistants will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

(3) On conclusion of the period of probation, the Government may confirm the probationer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government, been unsatisfactory he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(4) Assistants recruited to the AFHQ Civil Service will be posted to one of the Service Headquarters or Inter-Service Organisations participating in the AFHQ Civil Service Scheme. They may, however, at any time be transferred to any other such Headquarters or office.

(5) Assistants will be eligible for promotion to higher grades in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(6) Persons appointed to the Assistants' Grade of the Armed Forces Headquarters Civil Service will not, after such appointment, have any claim for transfer or appointment to any post not included in that Service.

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Steel)

New Delhi, the 23rd October 1971

RESOLUTION

No. RM-5(6)/70.—In partial modification of Resolution No. RM-5(6)/70, dated 7-1-1971, published in the Gazette of India on 6-2-1971 (as amended from time to time), regarding setting up of an Expert Committee on Refractories, Government have decided that Shri G. D. Kalra, Deputy Mineral Economist, Indian Bureau of Mines, Nagpur, also will be a member of the Committee with immediate effect.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. V. RAMANATHAN, Jt. Secy.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 11th October 1971

RESOLUTION

No. 3-1/70-*MT*.—Government of India had constituted a Panel for Furnace Industry *vide* Resolution No. 4-32/67-MT, dated 17th January 1969, with a view to examine the various matters relating to the development of the Industrial Furnace Industry, keeping them under review and suggesting solutions to various problems facing the industry from time to time. The terms of the Panel had expired and it has now been decided to reconstitute the Panel for Furnace Industry with the following Members :—

Chairman

1. Shri R. K. Gejji, Director, Central Machine Tool Institute, Bangalore-22.

Members

2. Shri Arjan Vaswani, (Chairman, Industrial Furnaces Divn., Indian Engineering Association, Calcutta) and Managing Director, Wesman Engineering Company Ltd., 1/2 Allenbary Road, Calcutta-20.
3. Shri Y. P. Vatsa, Group Manager (Furnaces) M/s. General Electric Company of India Ltd., 6, Chittaranjan Avenue, Calcutta-13.
4. Shri H. T. Makhijani, Chief Technical Executive, M/s. Westerwork Engineers Pvt. Ltd., 5-D Vulcan Insurance Biulding, Veer Nariman Road, Churchgate, Bombay-20 (BR).
5. Shri M. S. Malaney, M/s. Vulcan Engineers Pvt. Ltd., Mahalaxmi Chambers, Bhulabhai Desai Road, Bombay-26 (WB).
6. Dr. D. P. Chatterjee, I.O.F.S. (Retired) Consulting Engineer, 'Nibaran Smriti', Bally, Howrah (West Bengal).
7. Shri P. C. Laha, Deputy Chief Engineer (CFDB), Hindustan Steel Limited, Ranchi.
8. Shri G. N. Ramaseshan, A.D.G.O.F. (Project), Director-General, Ordnance Factories, 44, Park Street, Calcutta-16.
9. Shri C. K. Modi, Deputy Secretary, Ministry of Industrial Development, Udyog Bhavan, New Delhi.
10. Shri Gurbaksh Singh, Industrial Adviser (Tools) Directorate-General of Technical Development, Udyog Bhavan, New Delhi.

Member-Secretary

11. Shri R. N. Basu, Development Officer (Tools), Directorate-General of Technical Development, Udyog Bhavan, New Delhi.

The term of the Panel would be one year.

ORDER

ORDERED that a copy of the above Resolution be communicated to all concerned and that it be also published in the Gazette of India for general information.

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 22nd October 1971

No. 1-11/69-*HM(I)*.—Reference the erstwhile Ministry of Steel Mines and Heavy Engineering Resolution No. 1-2/63-MEI, dated the 25th March 1964 constituting a Panel for the Ball Bearing Industry.

2. It has been decided to reconstitute the Panel as follows, having regard to the changes effected from time to time—

S. No., Name and Designation

Chairman

1. Shri M. M. Vadi, Senior Industrial Adviser (Engg.), Directorate General of Technical Development, New Delhi.

Members

2. Shri C. K. Modi, Deputy Secretary, Ministry of Industrial Development, New Delhi.
3. Shri M. I. Patel, Managing Director, Antifriction Bearings Corporation Limited, Lonavla (Maharashtra).
4. Shri Shri Dhar, Shri Ram Bearings India Limited, D.C.M. Premises, Bara Hindu Rao, Delhi.
5. Shri G. Madhavan, Managing Director, M/s. Indo-Nippon Precision Bearings Ltd., Hyderabad.
6. Shri V. P. Soni, Joint Director, Ministry of Railways, Railway Board, New Delhi.
7. Shri R. Datta, Chief Engineer (Mechanical) National Industrial Development Corporation Ltd., Chanakya Bhavan, Vinay Marg, New Delhi-21.
8. Shri S. K. Sen, Director, Indian Standards Institution, 1/9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-1.
9. Shri C. J. Talsania, The Premier Automobiles Limited, Agra Road, Kurla, Bombay-70.
10. Shri P. H. Ghyara, Manager (Ancillaries Development), Tata Engineering & Locomotive Company Ltd., Bombay House, 24, Bruce Street, Bombay-1.
11. Shri A. C. Gupta, Jyoti Limited, Industrial Area, Baroda-3.
12. Shri M. K. Joshi, Director, Precision Bearings India Ltd., Wavell House, 15 Graham Road, Bombay-1.
13. Shri J. D. Thirani, General Manager, National Engineering Industries Ltd., Jaipur.
14. Mr. B. Fredrikson, Managing Director, Associated Bearing Company Ltd., Mahatma Gandhi Memorial Bldg., Netaji Subhash Road, Bombay-2.
15. Shri A. S. Jayaraman, Director of Vehicles, Research and Development, Ministry of Defence, New Delhi.
16. Shri Trilochan Singh Sahney, Managing Director, Needle Roller Bearing Co. Ltd., Thana (Maharashtra).
17. Shri N. Krishnaswami, Industrial Adviser, Directorate General of Technical Development, New Delhi.

Member-Secretary

18. Shri M. Rama Rao, Development Officer, Directorate General of Technical Development, New Delhi.

S. KANNAN, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING,

(Department of Health)

New Delhi, the 6th July 1971

RESOLUTION

No. 2-74/71 *H*.—The Government of India consider that in the interest of improving the working efficiency and services of the Willingdon Hospital and Nursing Home, New Delhi and the Safdarjung Hospital, New Delhi, it is imperative that an effective and speedy set up be evolved for taking decisions and giving financial clearance without undue delay. It has, accordingly, been decided that a high-powered Control Board should be constituted to be in overall charge of the two Hospitals under the general supervision of the Government of India in the Ministry of Health and Family Planning.

2. The Willingdon and Safdarjung Hospitals Control Board will consist of the following :

Chairman

1. Secretary (Health).

Members

2. Joint Secretary (U.) Department of Health.
3. Director General of Health Services.

Members.

4. Medical Supdt., Willingdon Hospital.
5. Medical Supdt., Safdarjung Hospital.
6. Chief Engineer Civil CPWD.
7. Senior Architect DGHS.
8. Drugs Controller, India.
9. Deputy Secretary (IFA).

Member-Secretary

10. Deputy Secretary (M).

3. (a) The Headquarters of the Board will be in New Delhi.

(b) The Board will hold meetings as and when necessary and may invite to its meetings such other officers/experts as it may consider necessary. It will also be empowered to appoint sub-Committees that may be found necessary for any purpose.

4. In particular and without prejudice to the generality of the provisions above, the Board shall—

(i) take decisions on all matters relating to the Willingdon and Safdarjung Hospitals including their expansion and modernsation;

(ii) exercise all powers of decision making and granting financial sanctions within the budget provisions as are vested in the Ministry of Health and Family Planning;

(iii) examine and approve from time to time, the delegation of such powers, both administrative and financial, as it may deem necessary to the Superintendents of Willingdon and Safdarjung Hospitals;

(iv) frame rules as to the delegation of powers and procedure for the purpose of carrying out its business;

(v) receive such reports and returns as it may prescribe from the Willingdon and Safdarjung Hospitals; and

(vi) fix responsibility and recommend suitable disciplinary action in the case of officer/doctors in the Willingdon and Safdarjung Hospitals.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution may be communicated to all the Ministries/Departments of the Government of India/Directorate General of Health Services/Members of the Willingdon and Safdarjung Hospitals Control Board.

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general informations.

PREMA JOHARI, Jt. Secy.

New Delhi, the 19th October 1971

No. F. 2-206/71-ME(PG).—It is hereby notified for general information that the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi which is a Statutory Body is conducting the undermentioned additional courses leading to the award of the following degrees under Section 24 of the All India Institute of Medical Sciences, Act 1956 (25 of 1956), viz.

(i) M.D. in Radio-Diagnosis; and

(ii) M.D. in Radio-Therapy.

2. It is notified for general information that in accordance with Section 23 of the All India Institute of Medical Sciences Act the medical degrees and diplomas granted by the Institute under the said Act shall be recognised medical qualifications for the purposes of the Indian Medical Council Act, 1956 and shall be deemed to be included in the First Schedule to the Act.

3. With the introduction of their award of the M.D. in Radio-Diagnosis and M.D. in Radio-Therapy, the M.D. in Radiology has been discontinued.

N. S. BHATIA, Under Secy.

New Delhi, the 26th October 1971

RESOLUTION

No. F. 16-19/70-PHE.—To prepare a Master Plan for Water Supply and Sewerage System in Delhi, a Committee was set up *vide* this Ministry's Resolution No. F. 16-19/70-PHE, dated the 20th June, 1970. The Government of India is now pleased to extend the period for submission of the Report by the Committee up to the end of January, 1972.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

S. K. SUDHAKAR, Under Secy.

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 22nd October 1971

RESOLUTION

No. 20-PG(9)/70.—In modification of the Ministry of Shipping and Transport Resolution No. 20-PG(9)/70, dated the 15th December, 1970 the Government of India have decided that the Chief Secretary to the Government of West Bengal shall be a member of the National Harbour Board *vice* the former Adviser to the Governor of West Bengal (Incharge of Irrigation and Waterways Department).

2. The Government of India have also decided that the following persons shall be members of the National Harbour Board :—

1. Shri Brahmananda Panda, Member, Rajya Sabha.
2. Shri Kalyan Roy, Member, Rajya Sabha.
3. Shri Shankarrao Savant, Member, Lok Sabha.
4. Shri M. S. Sanjeevi Rao, Member, Lok Sabha.
5. Dr. Mahipatray Mehta, Member, Lok Sabha.
6. Shri K. K. Shetty, Member, Lok Sabha.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the members of the Board, Secretary to the President, Prime members of the Board, Secretary to the President, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Planning Commission, Ministries/Departments of the Government of India and the State Governments concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. NARAYANAN, Jt. Secy.

MINISTRY OF IRRIGATION & POWER

New Delhi, the 26th October 1971

RESOLUTION

No. F.C.11(28)/71.—During the last, three years, the Lower Damodar basin has been affected by floods and drainage congestion resulting in heavy loss of crops and misery and suffering to a large population. It has therefore been considered necessary to make a detailed study of the causes for the serious situations experienced in recent years and to devise ways and means of reducing the recurring damage in the area. For this purpose, the Government of India have decided to constitute a Committee.

2. The Committee shall consist of :—

Chairman

(i) Chairman, Central Water & Power Commission.

Members

(ii) Chairman, Water & Power Development Consultancy Services (India).

(iii) Chief Engineer, Irrigation, West Bengal.

(iv) Chief Engineer, Irrigation, Bihar.

(v) General Manager, D.V.C.

Member-Secretary

(vi) Manager, Reservoir Operations, Maithon.

3. The terms of reference to the Committee shall be :

(i) To make a study of the causes of flood and drainage congestion in the Lower Damodar region in recent years.

(ii) To review the rules and regulations laid down in the Operation Manual of D.V.C. reservoirs drawn in consultation and agreed to by C.W.& P.C. and the States of Bihar and West Bengal in 1969 and to suggest modifications and improvements with a view to reduce flood and drainage congestion in the Lower Damodar region.

(iii) To examine the possibility of the moderation of flood peaks to the extent of limiting the discharges downstream of Durgapur barrage to 2.5 lakh cusecs for which the Lower Damodar Canalisation Scheme is being designed and executed, by increasing the flood storage by;

(a) acquisition of land and properties to full reservoir level in Maithon and Panchet dams;

(b) providing flood storage in Tenughat Dam;

(c) constructing more dams in Upper Damodar basin.

4. The Committee will submit its report within two months.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the State Governments of West Bengal and Bihar/Chairman, Damodar Valley Corporation/Prime Minister's Secretariat/Private and Military Secretary to the President/Comptroller and Auditor General of India/Planning Commission for information.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India and that the State Government of West Bengal and the State Government of Bihar be requested to publish it in the State Gazette for general information.

B. S. BANSAL, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971